

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुलतानपुर

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक ०३ अप्रैल, 2008

विषय: वर्ष 2007-08 में शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

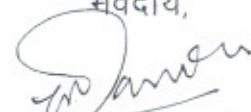
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-666 / 1-10-2008-12(34) / 2003, दिनांक: 22 फरवरी, 2008 के क्रम में आपके पत्र संख्या-732 / मु०रा०ले०-दैवी आपदा, दिनांक: 28 फरवरी, 2008 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007-08 में शीतलहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय व्यक्तियों के बचाव हेतु आवश्यकताओं के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वितरित किये गये कम्बल के भुगतान हेतु रु० 6,00,000 /- (रुपये छः लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-5261 / 1-10-2008-12(34) / 2003, दिनांक: 14.12.2007 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

1. कम्बल के क्रय पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र तथा कम्बल वितरण करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नाम डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु आपूर्ति किये गये 2000 कम्बलों के भुगतान पर व्यय किया जायेगा। यदि आबंटित धनराशि में से बचते सम्भावित हों तो 15 दिनों में शासन को समर्पित कर दिया जाय।

4. कृपया आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए इसका लेखा-जोखा वित्तीय नियमों के अनुसार रखा जाय तथा व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये, साथ ही आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को अविलम्ब सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी०के० टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या- 2004(1)/1-10-2008-12(34)/2003 तद दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा आडिट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद।
3. सचिव एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, सुलतानपुर।
6. वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राजस्व अनुभाग-11
8. वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव